125/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अथ इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो
10/12/20	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण/वादीगण माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	